



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012022-232377
CG-DL-E-03012022-232377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2022/पौष 13, 1943

No. 10]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2022/PAUSHA 13, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2022

का.आ. 10(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, एक "जनरेटर स्टेटर" का, जीई पावर, सानंद अहमदाबाद, गुजरात से जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एटा, उत्तर प्रदेश तक, सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स बॉक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में "जनरेटर स्टेटर" के परिवहन के लिए, मेसर्स जीई पावर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1	जीजे12बीवी0415	वोल्वो- एचपी- 520
2	जीजे12बीवी0015	
3	एमएच06एसी8289	

4	एमएच06एक्यू1289	
5	एमएच06एसी5416	
6	एमएच46एच1064	
7	एमएच06एक्यू1290	
8	जीजे12एजेड3302	

3. उपरोक्त एक फेरे के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रैलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं.	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	जीजे 12 एटी 7526	गोल्डहोफ़र	4	72
2.	जीजे 12 एटी 7528	गोल्डहोफ़र	4	72
3.	जीजे 12 जेड 0140	गोल्डहोफ़र	4	72
4.	जीजे 12 जेड 0139	गोल्डहोफ़र	4	72
5.	जीजे 12 एटी 7530	गोल्डहोफ़र	8	144
6.	जीजे 12 जेड 0138	गोल्डहोफ़र	6	108
7.	जीजे 12 एटी 9598	गोल्डहोफ़र	6	108
8.	जीजे 12 जेड 4079	गोल्डहोफ़र	4	72
9.	जीजे 12 जेड 4076	गोल्डहोफ़र	4	72
10.	जीजे 12 एटी 9596	गोल्डहोफ़र	8	144
11.	जीजे 12 जेड 0137	गोल्डहोफ़र	4	72
12.	जीजे 12 जेड 3452	गोल्डहोफ़र	6	108
13.	जीजे 12 जेड 3453	गोल्डहोफ़र	6	108
14.	जीजे 12 जेड 3450	गोल्डहोफ़र	4	72
15.	जीजे 12 जेड 3449	गोल्डहोफ़र	4	72
16.	जीजे 12 जेड 3451	गोल्डहोफ़र	4	72
17.	जीजे 12 जेड 4075	गोल्डहोफ़र	6	108
18.	जीजे 12 जेड 0136	गोल्डहोफ़र	6	108
19.	जीजे 12 एटी 7529	गोल्डहोफ़र	8	144

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

खाली भार (टन में)	खेप का भार	यान का लदान के साथ भार	लोड प्रति एक्सल लाइन	खेप का समग्र आयाम (मिमी में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
गर्डर ब्रिज के साथ 16 +16 खाली धुरी पंक्तियों का भार: 242.36 टन	358.54 टन	600.90 टन	18.77 टन	10500 x 4200 x 4545	16+16 धुरी पंक्तियाँ (अर्थात् 32 धुरी पंक्तियों के बराबर) लंबाई में गर्डर ब्रिज के साथ युग्मित

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

- (i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, विशिष्ट मार्ग जीई पावर, सानंद अहमदाबाद, गुजरात से जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एटा, उत्तर प्रदेश तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-
जीई पावर, साणंद- चारोदी- वीरमगढ़- बेहकारजी- मेहसाणा बाइपास- पालनपुर- पिंडवाड़ा- उदयपुर- मंगलावाड-चित्तौड़गढ़- भीलवाड़ा- किशनगढ़- जयपुर- आगरा- टुंडला- सिकोहाबाद- इटावा- करहल- मैनपुरी- जवाहरपुर साइट।
- (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- (iv) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (v) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vi) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (vii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (viii) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (ix) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (x) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xi) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiii) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xiv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xv) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[सं आरटी-11042/09/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2022

S.O. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one “Generator Stator” from GE Power, Sanand Ahmedabad, Gujarat to Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd. Etah, Uttar Pradesh by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Boxco Logistics India Private Limited is the transporter of M/s GE Power Systems India Private Limited for transportation of one “Generator Stator” for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

S. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1	GJ12BV0415	VOLVO – HP-520
2	GJ12BV0015	
3	MH06AC8289	
4	MH06AQ1289	
5	MH06AC5416	
6	MH46H1064	
7	MH06AQ1290	
8	GJ12AZ3302	

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	GJ 12 AT 7526	GOLDHOFER	4	72
2.	GJ 12 AT 7528	GOLDHOFER	4	72
3.	GJ 12 Z 0140	GOLDHOFER	4	72
4.	GJ 12 Z 0139	GOLDHOFER	4	72
5.	GJ 12 AT 7530	GOLDHOFER	8	144
6.	GJ 12 Z 0138	GOLDHOFER	6	108
7.	GJ 12 AT 9598	GOLDHOFER	6	108
8.	GJ 12 Z 4079	GOLDHOFER	4	72
9.	GJ 12 Z 4076	GOLDHOFER	4	72
10.	GJ 12 AT 9596	GOLDHOFER	8	144

11.	GJ 12 Z 0137	GOLDHOFER	4	72
12.	GJ 12 Z 3452	GOLDHOFER	6	108
13.	GJ 12 Z 3453	GOLDHOFER	6	108
14.	GJ 12 Z 3450	GOLDHOFER	4	72
15.	GJ 12 Z 3449	GOLDHOFER	4	72
16.	GJ 12 Z 3451	GOLDHOFER	4	72
17.	GJ 12 Z 4075	GOLDHOFER	6	108
18.	GJ 12 Z 0136	GOLDHOFER	6	108
19.	GJ 12 AT 7529	GOLDHOFER	8	144

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

Unladen Weight in Tons	Weight of Consignment	Laden Weight of the Vehicle	Load Per Axle line	Overall dimension of consignment (in mm) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
Unladen weight of 16 +16 axle with Girder Bridge : 242.36 Tons	358.54 MT	600.90 MT	18.77 MT	10500 x 4200 x 4545	16 +16 axle rows (i.e. equivalent to 32 axle rows) coupled with Girder Bridge in length

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- The specific route for transportation of the consignment will be from GE Power, Sanand Ahmedabad, Gujarat to Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd. Etah, Uttar Pradesh by road through-
GE Power, Sanand – Charodi – Viramgarh- Behcarji –Mehsana Bypass – Palanpur – Pindwada – Udaipur – Mangalwad – Chittorgarh – Bhilwara – Kishangarh – Jaipur – Agra – Tundla – Sikohabad – Etawah – Karhal – Mainpuri – Jawaharpur Site.
- Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.

- vi. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- vii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- viii. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- ix. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- x. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xi. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiii. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Gujarat and Maharashtra.
- xiv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xv. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[No. RT-11042/09/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.